कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर

क्रमांक–जिशिअ / प्रा.शि. / गंगा / मान्यता / 2016 / 155

दिनांकः– 23-11-16

प्रबंधक,
ब्लयू माउन्ट पब्लिक स्कूल प्रबंध समिति,
श्रीविजयनगर।

मान्यता कोड संख्याकः–1367

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियग (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय

आपके दिनांक 30.04.2016 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं **ब्लयू माउन्ट इण्टरनेशनल स्कूल, 10 बी.एल.एम. श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (अंग्रेजी माध्यम)** को 2016 से **कक्षा 6 से 8 तक** के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा – 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में या, यथास्थिति पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडौस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा – 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी सक्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालना करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–
   - (I) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   - (II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   - (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   - (IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम – 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - (V) अधिनियम के उपबंधों के अनुसान निःशक्तताग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   - (VI) अध्यापक की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यून्तम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधी के भी ऐसी न्यून्तम अर्हताएं अर्जित करेगें।
   - (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
   - (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा.शि.) श्रीगंगानगर

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्चा के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा – 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – **15000 वर्ग मीटर**

कुल निर्मित क्षेत्र – **5161.6 वर्ग मीटर**

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल – **5000 वर्ग मीटर**

कक्षा कमरों की संख्या – **17**

प्रधानाध्यापक–सह कार्यालय–सह–भंडार कक्ष – **03**

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – **14**

पेयजल सुविधा– **उपलब्ध है।**

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– **उपलब्ध है।**

बाधा रहित पहुंच– **उपलब्ध है।**

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्याक:–1367** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसे रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक,/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समूचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत, अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएं।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा0शि0 श्रीगंगानगर

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा.शि.) श्रीगंगानगर